UPBJ010023302022

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0–1, बिजनौर

पीठासीन अधिकारी– (प्रशांत मित्तल), (उच्चतर न्यायिक सेवा)– UP06174

सत्र परीक्षण संख्या–286/2022

उत्तर प्रदेश राज्य ....**अभियोजन।**

बनाम

1. सलमान पुत्र इरफान,

2. इरफान पुत्र हमीद,

3. सरफू उर्फ सरफूद्दीन पुत्र करीमुल्ला

4. फैजान पुत्र इरफान,

समस्त निवासीगण– ग्राम शाहबपुर रतन, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर।

..................**अभियुक्तगण।**

मुकदमा अपराध संख्या–207/2019

धारा–364/34, 506 भा0द0सं0

थाना–किरतपुर, जिला– बिजनौर।

निर्णय

01• अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन एवं फैजान के विरुद्ध थाना किरतपुर, जिला बिजनौर की पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या– 207/2019 में पृथक–पृथक आरोप पत्र अन्तर्गत धारा–364, 506 भारतीय दण्ड संहिता विचारण हेतु न्यायालय में प्रेषित किये गये हैं। अभियुक्तगण का विचारण प्रेषित आरोप पत्रों के आधार पर सत्र सुपुर्दगी आदेश दिनांक 18–04–2022 के पश्चात् किया गया है।

02• प्रार्थी/वादी मुकदमा बब्बू पुत्र अब्दुल गनी, निवासी– ग्राम शाहपुर खेड़ी, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर द्वारा दिनांक 20–06–2019 को थाना किरतपुर, जिला बिजनौर पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि ''मेरा लड़का रियाज खान दिल्ली में इरफान पुत्र हमीद, निवासी– ग्राम शाहपुर रतन, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर के साथ रहता व काम करता था। किसी बात को लेकर मेरे लड़के रियाज खान से काफी दिन पहले झगड़ा हुआ था। दिनांक 19–06–2019 को मेरा लड़का रियाज खान अपने तहेरे भाई फिरोज खान पुत्र बुन्दू के साथ रिश्तेदारी ग्राम कुम्हेड़ा में गया था, जहां से ये दोनों किसी काम से किरतपुर जा रहे थे तो रास्ते में शाम के समय रोककर सरफू पुत्र करीमुल्ला, इरफान पुत्र हमीद, उसके लड़के सलमान व फैजान पुत्रगण इरफान, निवासीगण–ग्राम शाहपुरा रतन, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर मेरे लड़के रियाज का अपहरण करके ले गये। फिरोज ने ये बातें मुझे बतायी

Digitally signed by PRASHANT MITTAL
Date: 2026.07.10 14:17:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

कि आज हम इसे जान से मार देंगे। अगर तूने भी किसी को बताया तो वहीं अन्जाम होगा। साहब मेरे लड़के का अभी तक कोई पता नहीं चला है। रिपोर्ट लिखाने थाने आया हूं। मेरी रिपोर्ट लिखकर मेरे लड़के को सही सलामत बरामद करने की कृपा करें।''

03• वादी मुकदमा बब्लू की उक्त तहरीर के आधार पर थाना किरतपुर, जिला बिजनौर पर दिनांक 20–06–2019 को समय 02:22 बजे, मुकदमा अपराध संख्या 207/2019 धारा–364, 506 भारतीय दंड संहिता अभियुक्तगण सरफू, इरफान, सलमान व फैजान के विरुद्ध पंजीकृत किया गया तथा विवेचना की गयी।

04• विवेचक द्वारा विवेचना क्रम में घटनास्थल का निरीक्षण कर नक्शा नजरी बनाया गया। वादी मुकदमा एवं अन्य साक्षीगण के बयान केस डायरी में अंकित किये। दिनांक 20–06–2019 को पुलिस पार्टी द्वारा अपहृत रियाज खान की बरामदगी की गयी एवं अभियुक्तगण फैजान व सरफूद्दीन को गिरफ्तार किया गया तथा विवेचना में अन्य औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन एवं फैजान के विरुद्ध मुकदमा अपराध सं0 207/2019 अन्तर्गत धारा 364, 506 भा0दं0सं0 विचारण हेतु पृथक–पृथक आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किये गये।

05• अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन एवं फैजान के विरुद्ध आरोप अन्तर्गत धारा–364/34, 506 भारतीय दंड संहिता दिनांक 30–05–2022 को विरचित किये गये। आरोप अभियुक्तगण को पढ़कर सुनाये व समझाये गये। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

06• आरोप को साबित करने के लिये अभियोजन पक्ष ने मौखिक साक्ष्य में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया है–

क्रम सं0	**साक्षी का नाम**	**पी0डब्लू0 संख्या**	**विवरण**
01.	बब्लू	पी0डब्लू0–1	वादी मुकदमा/ शिकायतकर्ता
02.	रियाज खान	पी0डब्लू0–2	अपहृत/पीड़ित साक्षी
03.	फिरोज	पी0डब्लू0–3	तथ्यात्मक साक्षी
04.	डॉ0 ब्रजपाल सिंह	पी0डब्लू0–4	विशेषज्ञ साक्षी
05.	उप–निरीक्षक सुभाष धनकड़	पी0डब्लू0–5	विवेचक साक्षी

07• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**

01.	लिखित तहरीर	प्रदर्श क–1	पी0डब्लू0–1
02.	चिकित्सीय आख्या	प्रदर्श क–2	पी0डब्लू0–4
03.	नक्शा नजरी घटनास्थल	प्रदर्श क–3	पी0डब्लू0–5
04.	फर्द बरामदगी अपहृत	प्रदर्श क–4	पी0डब्लू0–5
05.	सुपुर्दगीनामा	प्रदर्श क–5	पी0डब्लू0–5
06.	आरोप पत्र	प्रदर्श क–6 व प्रदर्श क– 7	पी0डब्लू0–5
07.	शेष अभियोजन प्रपत्रों चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट व कायमी जी0डी0 सं0–06 की औपचारिक प्रमाणिकता अभियुक्तगण की ओर से स्वीकार की गई है।	प्रदर्श क–8 व प्रदर्श क–9	

08• अभियोजन पक्ष की ओर से निम्नलिखित भौतिक साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं–

क्रम सं0	**विवरण**	**वस्तु प्रदर्श संख्या**	**द्वारा साबित किया गया**
01.	सफेद कपड़ा	वस्तु प्रदर्श–1	पी0डब्लू0–5
02.	रस्सी	वस्तु प्रदर्श–2	पी0डब्लू0–5

09• अभियुक्तगण के बयान धारा 313 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत कहते हुए गलत बयान देना, पुलिस द्वारा गलत विवेचना किया जाना व गलत आरोप पत्र प्रेषित करना तथा रंजिश की वजह से मुकदमा चलाया जाना कथित करते हुए कहा गया कि वे निर्दोष हैं, उन्हें गांव की रंजिश के कारण झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण को सफाई साक्ष्य का अवसर दिया गया। अभियुक्तगण द्वारा सफाई में साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने से इन्कार किया गया।

10• मैंने विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध सम्पूर्ण साक्ष्य का सम्यक् परिशीलन किया।

11• अभियोजन के कथनानुसार, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19–06–2019 की सायं किसी समय, ग्राम कुम्हैडा से किरतपुर जाने वाले रास्ते पर थाना किरतपुर की सीमांतर्गत सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी बब्बू के लड़के रियाज खान का अपहरण उसकी हत्या करने आशय से किया गया तथा वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी।

अभियोजन की ओर से अपने कथन के समर्थन में उपरोक्त 05 साक्षियों को प्रस्तुत किया गया है।

12• **साक्षी पी0डब्लू0–1 बब्बू**, जो कि इस अभियोग की वादी मुकदमा है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं मुल्जिमान सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन व फैजान को जानता हूँ। मुल्जिमान सलमान व फैजान सगे भाई हैं और इरफान इनका पिता है तथा मुल्जिम सरफूद्दीन जो आज हाजिर अदालत है, इसका रिश्तेदार है। मेरा लड़का रियाज दिल्ली में मुल्जिमान उपरोक्त इरफान के साथ रहता था और काम करता था। मेरे लड़के रियाज का इरफान के साथ दिल्ली में रहते हुए किसी बात पर झगड़ा हो गया था। दिनांक 19–06–2019 को मेरा लड़का रियाज अपने तहेरे भाई फिरोज के साथ अपनी बहन के साथ कुम्हेड़ा (किरतपुर के पास) गया था। शाम के समय मेरा लड़का रियाज, फिरोज के साथ वापिस मोटर साईकिल से किरतपुर आ रहे थे। रास्ते में मुल्जिमान सरफू, इरफान, सलमान व फैजान मेरे लड़के रियाज का अपहरण करके ले गये थे। यह बात फिरोज ने मुझे फोन पर बतायी थी और यह भी बताया था कि मुल्जिमान रियाज को जान से मार देंगे और यह बात किसी से बताने को मना किया था। मैंने अपने लड़के को काफी तलाश किया, जब नहीं मिला तब मैंने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर अपने गांव के दीन मौहम्मद से लिखवाकर अपना अंगूठा लगाकर थाने पर दी थी। गवाह को पत्रावली पर उपलब्ध तहरीर कागजं स0 अ–6/5 दिखायी गयी व पढ़कर सुनायी गयी तो गवाह ने इस पर अपने अंगूठे की शनाख्त की और बताया कि यह वही तहरीर है जो मैंने अपना अंगूठा लगाकर थाने पर दी थी और तहरीर पर **प्रदर्श क–1** डाला गया। दिनांक 20–06–2019 को मेरे लड़के को पुलिस द्वारा बरामद किया गया था।''

13• साक्षी **पी0डब्लू0–2 रियाज खान,** जो कि इस अभियोग का पीड़ित/अपहृत है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं मुल्जिमान सरफू, इरफान, सलमान व फैजान को जानता हूँ। मैंने दिल्ली में इरफान के पास रहकर काम किया था। मेरी उनसे बोलचाल हो गयी थी, इसलिए मैं अपने घर आ गया था। आज मुल्जिमान इरफान व सलमान हाजिर अदालत हैं, बाकी दो मुल्जिमान उपस्थित नहीं हैं। दिनांक 19–06–2019 को मैं अपने तहेरे भाई फिरोज के साथ अपनी बहन के घर ग्राम कुम्हेड़ा गया था। जब मैं व फिरोज शाम के समय साढ़े सात बजे मोटर साईकिल से वापस किरतपुर आ रहे थे तब मैं भाई फिरोज को छोड़कर किरतपुर से कहीं रिश्तेदारी में चला गया था। मुल्जिमान हाजिर अदालत सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन व फैजान ने मेरा अपहरण नहीं किया था तथा मेरे साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की थी, न ही मुझे खेतों में रखा था, न ही मुझे रस्सी से बांध रखा था तथा ना ही मुझे किसी मुल्जिम ने जान से मारने की धमकी दी। मेरी मोटर साईकिल स्लिप होने के कारण चोटें आयी थीं तथा दिनांक 21–06–2019 को मेरे पिता जी मुझे थाने ले गये थे। थाने में पुलिस ने मुझसे कुछ कोरे कागजों पर दस्तखत करा लिये थे। पुलिस ने मुझे स्वाहेड़ी से मुल्जिमान के कब्जे से बरामद नहीं किया था।'' इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को पक्षद्रोही घोषित किया गया।

14• साक्षी **पी0डब्लू0–3 फिरोज,** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि, ''मैं मुल्जिमान हाजिर अदालत सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन तथा अनुपस्थित फैजान पुत्र इरफान, निवासीगण शाहपुर रतन, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर को नहीं जानता। दिनांक 19–06–2019 को मैं अपने चचेरे भाई रियाज खान के साथ मोटर साईकिल से अपनी बहन के घर ग्राम कुम्हेड़ा गया था। जहां से लौटते हुये मैं और रियाज शाम को करीब 07:30 बजे मोटर साईकिल से वापस किरतपुर आ रहे थे। किरतपुर पहुंचने पर मुझसे रियाज ने कहा कि मैं किसी जरूरी काम से जा रहा हूं और वह मुझे छोड़कर मेरी मोटर साईकिल लेकर चला गया। मुल्जिमान सलमान, इरफान, सरफू और फैजान ने मेरे सामने जबरदस्ती रियाज की मोटर साईकिल से उतार कर उसका अपहरण नहीं किया और न ही यह धमकी दी कि हम इसे आज मार देंगे और तूने किसी को बताया तो तेरा भी यही हाल होगा। मेरे सामने उपरोक्त चारों मुल्जिमान रियाज को जबरदस्ती अपहरण कर शाहपुर की तरफ नहीं ले गये।'' इस स्तर पर अभियोजन की प्रार्थना पर गवाह को भी पक्षद्रोही घोषित किया गया।

15• साक्षी **पी0डब्लू0–4 डा0 ब्रजपाल सिंह,** ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि ''दिनांक 21–06–2019 को मैं प्रभारी चिकित्साधिकारी पी0एच0सी0 किरतपुर के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने समय 01:20 पी0एम0 पर रियाज पुत्र बब्लू, आयु करीब 19 वर्ष, निवासी ग्राम शाहपुर खेड़ी, थाना स्योहारा, जिला बिजनौर जिसे कांस्टेबिल गौरव थाना किरतपुर से लेकर आया था, का चिकित्सीय परीक्षण इसका पहचान चिन्ह् व निशानी अंगूठा लेकर व प्रमाणित कर किया था और इसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें पायी थीं–

चोट नं0–1 लाल नीलगू निशान 11 X 2.5 सें0मी0 पीठ पर दाहिनी ओर ऊपर की ओर मौजूद था।

चोट नं0–2 लाल नीलगू निशान 07 X 3.5 सें0मी0 के क्षेत्रफल में बाये कंधे के जोड के टॉप पर मौजूद था।

चोट नं0–3 लाल नीलगू निशान 08 X 3.5 सें0मी0 के आकार में बायी भुजा पर बाहर की ओर कंधे के जोड से 6.5 सेंमी0 मौजूद था।

चोट नं0–4 लाल नीलगू निशान 10 X 3.5 सें0मी0 के आकार में पीठ पर बायी ओर ऊपर की तरफ मौजूद थी।

चोट नं0–5 लाल नीलगू निशान जो सूजन लिए मौजूद था 08 X 04 सें0मी0 के आकार में बायी अग्रभुजा पर पीछे की ओर कोहनी के जोड के ठीक नीचे मौजूद था। इस चोट को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी थी।

चोट नं0–6 लाल नीलगू सूजन लिए निशान 09 X 06 सें0मी0 के आकार में बायी अग्रभुजा पर, कलाई के जोड पर बाये हाथ पर पीछे की ओर मौजूद था। इस चोट को जेरे निगरानी रखते हुए एक्स–रे की सलाह दी गयी।

चोट नं0–7 लाल भूरा खरोंच का निशान 04 X 03 सें0मी0 के आकार में दाहिनी कोहनी

पर पीछे की ओर से मौजूद था।

चोट नं0–8 लाल भूरा खरोंच का निशान 15 X 14 सें0मी0 के आकार में बायी जॉघ पर पीछे से बाहर की ओर कुल्हे की हडडी से 8 सेमी नीचे मौजूद था।

चोट नं0–9 नीलगू निशान 16 X 12 सें0मी0 के आकार में दाहिनी जॉघ पर पीछे की ओर कुल्हे की हडडी से 14 सेमी0 नीचे मौजूद था।

चोट नं0–10 नीलगू निशान 14 X 12 सें0मी0 के आकार में दाहिनी जॉघ पर पीछे की ओर बीच में घुटने के जोड से 09 सेमी0 ऊपर मौजूद था।

मेरी राय में ये चोटे किसी सख्त व कुन्दाले से आयी थी जो दो से तीन दिन पुरानी थी। चोट नं0 5 व 6 को छोडकर सभी चोटे साधारण थी।

मजरूब रियाज की ये चोटे दिनॉक 19.06.2019 को सायं के 07:30 बजे के बाद लाठी–डंडो से व चोट नं0 6 रस्सी की रगड से भी आना संभव है। मैंने चिकित्सीय आख्या तैयार की थी जो मूल रूप से आज पत्रावली पर मेरे सामने मेरे लेख व हस्ताक्षर में है जिस पर **प्रदर्श क–2** डाला गया।''

16• साक्षी **पी0डब्लू0–5 उपनिरीक्षक सुभाष घनकड,** जो मामले के विवेचक है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि ''दिनांक 20–06–2019 को मैं थाना किरतपुर में उपनिरीक्षक के पद पर तैनात था। उस दिन मैंने थाना प्रभारी के आदेश पर मु0अ0सं0 207/2019 धारा 364, 506 भा0दं0सं0 की विवेचना ग्रहण कर सी0डी0 का पर्चा नं0 1 किता कर नकल चिक, नकल रपट, बयान एफ0आई0आर0 लेखक पुष्पेन्द्र कुमार व बयान वादी बब्लू सी0डी0 में अंकित किए तथा वादी की निशानदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण कर, नक्शा नजरी तैयार किया। नक्शा नजरी पत्रावली पर अ–4 पर मौजूद है जो मेरे हस्तलेख में है जिस पर **प्रदर्श क–3** अंकित किया गया तथा अभियुक्तगण के संभावित स्थानों पर दबिश दी गयी, नहीं मिले। दिनॉक 20.09.2006 को मैं, कां0 सुधाकर वर्मा, कां0 प्रवेश कुमार व हमराह रपट नं0 66 समय 20:50 बजे, थाना हाजा से रवाना होकर, तलाश मुल्जिमान में मामूर था। मुखबिर से सूचना मिली कि अपहृत रियाज खान को जंगल में इस्लामपुर साहू से स्वाहेडी जाने वाले रास्ते पर छिपा कर रखा है। सरफुददीन पुत्र कमरूददीन, निवासी शाहबपुरा रतन को चाय नाश्ते पर ले जाते देखा है। मुखबिर की सूचना पर थाने से अतिरिक्त पुलिस बल उपनिरीक्षक संजीव कुमार व गौरव को बुलवाया गया व जनता के गवाह फराहम करने की कोशिश की गयी, लेकिन भलाई बुराई के कारण कोई तैयार नहीं हुआ। पुलिस के थाने से आने पर हमराहीयान को साथ लेकर मुखबिर के बताये स्थान पर पहुँचे तो मुखबिर ने गाडी को रूकवाकर सडक की दक्षिण और विजेन्द्र के ट्यूबवैल पर इशारा करते हुए बताया कि गन्ने के खेत में अपहृत को छिपा कर रखा है और बताकर मुखबिर चला गया। पुलिस वालो ने चारो तरफ से घेरते हुए गन्ने के खेत के पास पहुँचे तो अन्दर से आवाज आ रही थी कि साले पुलिस हमारे पीछे पडी है, आज तुझे मार देगें। हमे विश्वास हो गया। पुलिस बल को इशारा कर एकदम घेर घोटकर गन्ने के खेत में पहुँचे तो देखा कि ट्यूबवैल से करीब 20 मीटर अन्दर एक व्यक्ति को रस्सी

से बॉध रखा था और दो व्यक्ति पास में ही थे। दिनॉक 21.06.2019 को समय करीब 08:40 बजे दोनों व्यक्तियो को पकड लिया। एक ने अपना नाम फैजान पुत्र मौ0 इरफान व दूसरे ने अपना नाम सरफुददीन पुत्र कमरूददीन, निवासीगण ग्राम शाहबपुरा रतन, थाना किरतपुर बताया तथा रस्सी में बंधे व्यक्ति को खोलकर नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रियाज खान बताया तथा यह भी बताया कि दिनॉक 19.06.2019 को मौ0 इरफान पुत्र अ0 हनीफ ने मुझे बुलाया था और बताया कि चचेरे भाई फिरोज की रिश्तेदारी ग्राम में थी, किसी काम से किरतपुर गये। मोटर साईकिल रूकवाकर सरफू व फैजान, इरफान व सलमान इन चारो व्यक्तियो ने मेरा अपहरण कर लिया था। मुझे लिए घूम रहे थे व पिटायी भी कर रहे थे। फिर सलमान व इरफान कहीं चले गये। फैजान व सरफुददीन मेरी निगरानी करते रहे। अभियुक्तगण ने अपने जुर्म को स्वीकार करते हुए अपने साथी के नाम भी उपरोक्तानुसार पुलिस को बताये तथा दोनों व्यक्तियो को हिरासत पुलिस में लेकर नियमानुसार रस्सी को एक सफेद कपडे में रखकर नमूना मुहर तैयार किया गया तथा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन किया गया। फर्द मौके पर मेरे द्वारा तैयार कर हमराहीगण के हस्ताक्षर कराकर अभियुक्तगण को फर्द की एक प्रति दी गयी थी। फर्द पत्रावली पर कागज संख्या क–8/1 ता 8/2 पर मौजूद है जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। फर्द पर **प्रदर्श क–4** अंकित किया गया। गिरफतार अभियुक्तगण को थाने लाकर अपहृत रियाज खान के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा अभियुक्त फैजान व सरफुददीन के बयान सी0डी0 में अंकित किए तथा अभियुक्तगण का 14 दिन का रिमाण्ड न्यायालय से स्वीकृत कराया। दिनॉक 21.06.2019 को सी0डी0–3 किता कर अपहृत रियाज को उसके पिता बब्लू पुत्र अ0 गनी के सुपुर्द किया गया। सुपुर्दगीनामा तैयार किया गया तथा गवाहान के हस्ताक्षर व निशानी अंगूठा कराये गये। सुपुर्दगीनामा पत्रावली पर ब–9 पर मेरे लेख व हस्ताक्षर में मौजूद है। सुपुर्दगीनामे पर **प्रदर्श क–5** अंकित किया गया। अपहृत रियाज खान के मेडिकल का अवलोकन कर सी0डी0 में अंकित किया गया। दिनॉक 01.08.2019 को रियाज खान की मेडिकल रिपोर्ट व एक्सरे रिपोर्ट का अवलोकन कर सी0डी0 में किता किया गया तथा शेष अभियुक्तगण की गिरफतारी हेतु उनके मकानो पर दबिश दी गयी, नहीं मिले। दिनॉक 02.08.2019 को सी0डी0 13 किता कर बयान गवाह फिरोज पुत्र बुन्दू, दीन मौहम्मद, कां0 सुधाकर वर्मा, कां0 पुष्पेन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक संजीव कुमार व उपनिरीक्षक गौरव कुमार सी0डी0 में अंकित किए गए। दिनॉक 10.08.2019 को सी0डी0 14 में बयान वादी व बरामदगी अपहृत, मौके पर गिरफतारी अभियुक्तगण, निरीक्षण घटनास्थल व तमामी विवेचना के आधार पर अभियुक्तगण सरफुददीन व फैजान के विरूद्व मु0अ0सं0 207/2019, धारा 364,506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 224/2019 दिनॉक 10–08–2019 को न्यायालय में प्रेषित किया गया तथा शेष अभियुक्तगण सलमान व इरफान के विरूद्व विवेचना जारी रही। आरोप पत्र पत्रावली पर कागज सं0 अ–3/4 ता 3/6 पर मौजूद है जिस पर मेरे व थाना प्रभारी के भी हस्ताक्षर है तथा सी0ओ0 साहब के भी हस्ताक्षर है। आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–6** अंकित किया गया। न्यायालय के समक्ष एक सीलबंद पुलिंदा जिसमे सफेद रंग के कपडे पर मु0अ0सं0 207/2019, धारा 364, 506 भा0दं0सं0, थाना किरतपुर आदि इबारत लिखी है जिस पर मेरे

भी हस्ताक्षर है। सफेद कपडे पर **वस्तु प्रदर्श–1** तथा सफेद कपडे को खोला गया तो अन्दर से एक काले रंग की रस्सी निकली जिस पर **वस्तु प्रदर्श–2** अंकित किया गया। इस मुकदमें की विवेचना मेरे स्थानांतरण के बाद उपनिरीक्षक संजीव कुमार के सुपुर्द हुई। उन्होंने अभियुक्त सलमान पुत्र इरफान, इरफान पुत्र हमीद, निवासीगण शाहबपुरा रतन, थाना किरतपुर, के विरूद्व धारा 364, 506 भा0दं0सं0 में आरोप पत्र सं0 224ए/2019 दिनॉक 10–10–2019 को न्यायालय में प्रस्तुत किया था जिसकी कम्प्यूटरीकृत कॉपी पत्रावली पर कागज संख्या अ–3/1 ता 3/3 के रूप में है जिस पर उपनिरीक्षक संजीव कुमार के हस्ताक्षर है तथा तत्कालीन थाना प्रभारी अजय कुामर के हस्ताक्षर मौजूद है जिनको मैं अच्छी तरह से पहचानता हूॅ। मैंने इनको लिखते, पढते देखा है, मेरे साथ तैनात रहे है। आरोप पत्र पर **प्रदर्श क–7** अंकित किया गया।''

17• अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19–06–2019 की सायं किसी समय, ग्राम कुम्हैडा से किरतपुर जाने वाले रास्ते पर थाना किरतपुर की सीमांतर्गत सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी बब्बू के लड़के रियाज खान का अपहरण उसकी हत्या करने आशय से किया गया तथा वादी को जान से मारने की धमकी दी गयी। वादी मुकदमा द्वारा अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का पूर्ण समर्थन किया है। अन्य तथ्यात्मक साक्षीगण को अभियुक्तगण द्वारा विनओवर कर लिया गया है, जिस कारण उनके द्वारा सही गवाही नहीं दी गयी है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अन्य साक्षियों ने समस्त अभियोजन प्रपत्रों, अभियुक्तगण से की गयी बरामदगी, चिकित्सीय आख्या व अन्य प्रपत्रों को विधिवत् साबित किया है तथा अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य में ऐसा कोई मुख्य विरोधाभाष नहीं है, जिससे अभियोजन कथन या अभियोजन साक्षियों की साक्ष्य संदिग्ध होती हो। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन अभियुक्तगण पर लगाये गये आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में सफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किया जाय।

18• अभियुक्तगण की ओर से अपने बचाव में यह तर्क प्रस्तुत किए गए कि उनके द्वारा कथित अपराध कारित नहीं किया गया है बल्कि उन्हें झूॅठा फंसाया गया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत घटना के चक्षुदर्शी साक्षियो ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण द्वारा किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–1 वादी मुकदमा द्वारा स्वयं कोई घटना नहीं देखी गयी है। उसे घटना के बारे में पी0डब्लू–3 फिरोज द्वारा बताया गया है तथा अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–2 रियाज व पी0डब्लू–3 फिरोज ने भी अपनी साक्ष्य में घटना व अभियोजन कथन का समर्थन नहीं किया है। उन्हें स्वयं अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। पत्रावली पर उनके विरूद्व कोई ऐसा साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उन्हें दोषसिद्व किया जा सके। उपरोक्त परिस्थिति में अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाए।

19• अभियोजन के कथनानुसार, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19–06–2019 की सायं किसी समय, ग्राम कुम्हैडा से किरतपुर जाने वाले रास्ते पर थाना किरतपुर की सीमांतर्गत, सामान्य आशय के अग्रसारण में, वादी बब्बू के लड़के रियाज खान का अपहरण उसकी हत्या करने आशय से किया गया तथा वादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना कथित किया गया है। अभियोजन की ओर से उपरोक्त कथन के समर्थन में 03 तथ्यात्मक साक्षियो को प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उपरोक्त साक्षियो में से कथित अपहृत व चक्षुदर्शी साक्षीगण पी0डब्लू–2 व पी0डब्लू–3 के द्वारा किसी भी साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है तथा अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन व फैजान द्वारा पीडित का अपहरण करने, मारपीट करने, रस्सी से बॉधकर खेतो में रखने व जान से मारने की धमकी दिए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा पी0डब्लू–2 जो कि इस अभियोग का अपहृत है, ने अपनी साक्ष्य में कहा है कि '' सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूद्दीन व फैजान ने मेरा अपहरण नहीं किया था तथा मेरे साथ किसी ने कोई मारपीट नहीं की थी, न ही मुझे खेतों में रखा था, न ही मुझे रस्सी से बांधकर रखा था तथा ना ही मुझे किसी मुल्जिम ने जान से मारने की धमकी दी। मेरी मोटर साईकिल स्लिप होने के कारण चोटें आयी थीं।'' इस साक्षी से अभियोजन की ओर से विस्तृत जिरह की गई परन्तु कोई अन्यथा तथ्य प्रकट नहीं हुआ। इसी प्रकार घटना के चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–3 द्वारा भी अपने बयान में अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू और फैजान द्वारा उसके समक्ष जबरदस्ती रियाज को मोटर साईकिल से उतार कर उसका अपहरण किए जाने व जान से मारने की धमकी दिए जाने के तथ्य से इंकार किया है। उपरोक्त साक्षियो पी0डब्लू–2 व पी0डब्लू–3 को स्वयं अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षीगण जो कि घटना के अपहृत व चक्षुदर्शी साक्षी है, के द्वारा अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है जिस कारण अभियोजन कथन संदिग्ध हो रहा है।

20• जहॉ तक वादी मुकदमा पी0डब्लू–1 की साक्ष्य का प्रश्न है तो यद्यपि इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथन का समर्थन किया है व तहरीर को प्रदर्श क–1 के रूप में साबित किया है, परन्तु इस साक्षी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह कहा है कि ''मेरे लडके का कभी इरफान व अन्य लोगों के साथ पैसो को लेकर कभी कोई झगडा नहीं हुआ। मैंने स्वयं अपने लडके रियाज को मुलजिमान द्वारा अपहरण कर ले जाते हुए नहीं देखा। दिनॉक 19.06.2019 को मेरा लडका रियाज मुझसे बताकर नहीं गया था कि कहा गया है। मैंने इस घटना की तहरीर प्रदर्श क–1 लोगों के बताये अनुसार लिखा दी थी। तहरीर पर मैंने अपना अंगूठा लगा दिया था। मैं पढा लिखा नहीं हूॅ। तहरीर थाने पर बैठकर लिखी गयी थी। तहरीर प्रदर्श क–1 मुझे पढकर नहीं सुनायी गयी थी। फिरोज मेरे लडके रियाज के साथ दिनॉक 19.06.2019 को गया या नहीं मुझे जानकारी नहीं है और ना ही फिरोज ने मुझे मेरे लडके के अपहरण के संबंध में फोन करके कोई जानकारी दी थी। मेरे लडके रियाज ने मुझे अपहरण के संबंध में कुछ नहीं बताया। पुलिस ने मुझसे कुछ कोरे कागजो पर अंगूठे भी लगवाये थे।'' उपरोक्त परिस्थिति में पी0डब्लू–1 द्वारा घटना के संबंध में थाने पर दी गयी

तहरीर प्रदर्श क–1 व अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किए जाने का अभियोजन कथन पुनः संदिग्ध हो रहा है तथा उपरोक्त साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्तगण की घटना में संलिप्तता प्रकट नहीं हो रही है।

21• अभियोजन द्वारा दिनॉक 20.06.2019 को पुलिस कर्मचारीगण द्वारा गन्ने के खेत से अपहृत रियाज खान व रस्सी को बरामद किया जाना व अभियुक्त सरफू उर्फ सरफूददीन व फैजान को मौके से गिरफतार किया जाना कथित किया गया है तथा अभियोजन साक्षी पी0डब्लू–5 विवेचक ने अपनी साक्ष्य में उपरोक्त तथ्यो को साबित करते हुए फर्द बरामदगी को प्रदर्श क–4 के रूप में तथा अपहृत रियाज के सुपुर्दगीनामे को प्रदर्श क–5 के रूप में साबित किया है, उक्त बरामदगी व गिरफतारी कां0 सुधाकर वर्मा व कां0 प्रवेश कुमार की उपस्थिति में किया जाना अपनी साक्ष्य में कहा है, परन्तु अभियुक्त से दर्शित बरामदगी भी संदिग्ध हो रही है, क्योंकि बरामदगी के उपरोक्त दोनो साक्षियो को अभियोजन की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया है तथा घटना के अपहृत व चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 व 3 अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण द्वारा उनके साथ किसी प्रकार की घटना कारित किए जाने से स्पष्ट रूप से इंकार किया है तथा पुलिस द्वारा कोरे कागज पर हस्ताक्षर कराना कहा है। उपरोक्त दोनों साक्षियो को स्वयं अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया है। साक्षी पी0डब्लू–2 द्वारा अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह कहा है कि ''दिनॉक 19.06. 2019 को सायं के 04:30 बजे, मैं अपनी बहन के घर किरतपुर आते हुए फिरोज को किरतपुर छोडकर, कहीं बाहर अपनी रिश्तेदारी में चला गया था। दो दिन बाद वापस घर आया था। तब मेरे पिताजी मुझे थाने ले गये थे। थाने पर पुलिस ने मुझसे कौरे कागजो पर दस्तखत करा लिए थे। अभियुक्त फैजान, इरफान, सलमान व सरफूददीन ने दिनॉक 19.06.2019 को मेरा अपहरण नहीं किया था और ना ही मेरी स्वाहेडी के जंगल में बरामदगी हुई थी और ना ही मुल्जिमान इरफान, सलमान, फैजान व सरफूददीन ने मेरे साथ, रस्सी से हाथ, पैर, बॉधकर मारपीट की थी और ना ही मुल्जिमान ने जान से मारने की धमकी दी थी।..........मेरे बाईक से चोट लगी थी।'' इसी प्रकार पी0डब्लू–3 जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी होना बताया गया है, ने अपनी जिरह में यह कहा है कि ''मुल्जिमान उपरोक्त ने मेरे सामने मेरे चचेरे भाई रियाज का कोई अपहरण नहीं किया था। ....मुल्जिमान उपरोक्त द्वारा मुझे व मेरे चचेरे भाई रियाज को जान से मारने की धमकी नहीं दी थी।'' इस प्रकार कथित अपहृत की बरामदगी के अपहृत साक्षी व स्वतंत्र चक्षुदर्शी साक्षी पी0डब्लू–2 व 3 द्वारा अपनी साक्ष्य में पुलिस द्वारा अपहृत की बरामदगी व फर्द बरामदगी रस्सी की पुष्टि ना करने व पुलिस द्वारा कोरे कागजात पर हस्ताक्षर कराने का कथन किए जाने से अभियुक्त से दर्शित अपहृत रियाज की बरामदगी व रस्सी की फर्द बरामदगी संदिग्ध हो रही है। अभियोजन की ओर से अन्य कोई साक्ष्य ऐसा प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे अभियुक्तगण द्वारा कथित घटना कारित किया जाना साबित होता हो।

22• अभियोजन के कथनानुसार, अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 19–06–2019 की सायं किसी समय, ग्राम कुम्हैडा से किरतपुर जाने वाले रास्ते पर थाना किरतपुर की

सीमांतर्गत सामान्य आशय के अग्रसारण में वादी बब्बू के लड़के रियाज खान का अपहरण उसकी हत्या करने आशय से किया गया तथा वादी को जान से मारने की धमकी दिया जाना कथित किया गया है, परन्तु जैसा कि उपरोक्त विवेचित किया गया है कि घटना के तथ्यात्मक साक्षीगण पी0डब्लू–2 व पी0डब्लू–3 द्वारा अभियोजन कथन का समर्थन न करने से तथा पी0डब्लू–1 की साक्ष्य संदिग्ध होने से तथा घटना की तहरीर संदिग्ध होने से अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियो की साक्ष्य से अभियुक्तगण पर लगाया गया आरोप युक्तियुक्त संदेह के परे साबित नहीं हो रहा है। अतः अभियुक्तगण दोषमुक्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

सत्रवाद सं0 286/2022, मुकदमा अपराध सं0 207/2019, थाना किरतपुर, जिला बिजनौर में अभियुक्तगण सलमान, इरफान, सरफू उर्फ सरफूददीन व फैजान को आरोप अन्तर्गत धारा 364/34, 506 भा0दं0सं0 में दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है। उनके जमानतनामे तथा व्यक्तिगत बन्धपत्र निरस्त किए जाते है तथा जमानतदारो को उनके जमानत के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

अभियोजन साक्षी सं0 2 रियाज खान व पी0डब्लू–3 फिरोज के द्वारा अपनी साक्ष्य में किये गये विरोधाभाषी व मिथ्या कथनो के आधार पर उनके विरूद्ध धारा 344 दं0 प्र0 सं0 के तहत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत हो।

बरामद शुदा माल मुकदमा यदि कोई हो, बाद म्याद अपील अवधि नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

प्रत्येक अभियुक्तगण को धारा 437 ए. दं0प्र0सं0 के तहत बीस हजार रूपये का व्यक्तिगत बन्धपत्र एंव समान राशि की दो जमानते सात दिन के अन्दर इस आशय से दाखिल करेंगें, कि अपील होने पर यदि अपीलीय न्यायालय द्वारा उन्हें तलब किया जाये तो वे अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगें।

दिनांकः 10–07–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर

23• आज यह निर्णय तथा आदेश आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनॉकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

दिनांकः 10–07–2026

(प्रशांत मित्तल)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–01,
बिजनौर